Total No. of Questions : 10] [Total No. of Printed Pages : 8

Paper Code : 12722

L-502 (A)

LL.B. IIIrd Year (Fifth Semester) Examination, 2021-22

Paper-II (A)

INTERPRETATION OF STATUTES AND PRINCIPLE OF LEGISLATION

Time : Three Hours] *[Maximum Marks : 90*

Note : Attempt **five** questions in all. Question **No.1** is **compulsory**. **All** questions carry equal marks.

कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 **अनिवार्य** है। **सभी** प्रश्नों के अंक समान है।

1. "A statute is not passed in vacum but in frame work of circumstances so as to give remedy for a known state of affairs. To arrive at its true

meaning one should know the circumstances with reference to which the words are used and what was the object appearing from the circumstances which parliament had in view". Make a critical apprisal of the above in the light of Heydon's rule as applied to the under pretation of statutes.

"कोई कानून शून्य में नहीं वरन् परिस्थितियों की विरचना में पारित किया जाता है ताकि ज्ञात हालात हेतु उपचार प्रदान किया जाए। इसके सही अर्थ को समझने के लिए हमें उन परिस्थितियों को जानना चाहिए जिनके सन्दर्भ में शब्दों का प्रयोग किया गया था उन परिस्थितियों में क्या उद्देश्य परिलक्षित रहा था जो संसद द्वारा दृष्टगत किया गया था।" जैसा कि कानूनों के विवेचन में लागू किया गया था हीडन के नियम को ध्यान में रखते हुये उपर्युक्त कथन का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए।

2. "The rule of construction is well settled that when there are in an enactment two provisions which can not be reconciled with each other, the should so constructed that, it possible, effect should be given to both. This is what is known as the rule of harmonious construction". Discuss the important aspects of this rule with held of decided cases that known to you.

अर्थान्वयन का यह नियम सुरभिति हो चुका है कि जब किसी अधिनियम में से दो उपबन्ध हो जिनका एक दूसरे में समायोजन नही हो सकता है तब उनका इस प्रकार अर्थान्वयन होना चाहिए कि यदि सम्भव हो तो दोनों को ही प्रभावी बना दिया जाए। इसे ही सामंजस्यकारी अर्थान्वयन का नियम कहा जाता है।" आप को ज्ञातव्य विनिश्चित प्रकरणों की सहायता से इस नियम के प्रमुख पक्षों की विवेचना कीजिए।

3. Discuss and illustrate the Golden rule as applied to interpretation of statutes. How for is this rule different from the literal rule?

कानूनों के निर्वचन में यथा अनुप्रयोज्य स्वर्णिम नियम का सोदाहरण विवेचना कीजिए। यह नियम शाब्दिक नियम से कहाँ तक भिन्न है?

4. The principle of ejusdem generis has to be applied with care and caution. It is not an invioable rule of law, but only permissible inference in the obsence of an indication to the contrary, and where the context and object of the enactment do not require restricted meaning to be attached to the words of general import, it becomes the duty of the courts to give those words their plain and ordinary meaning, comment critically.

सजातियता का सिद्धान्त सतर्कता एवं सावधानी के

साथ लागू करना होता है। यह विधि का अनतिक्रमणीय नियम नहीं है, किन्तु प्रतिकूल के प्रति संकेत के अभाव में केवल एक अनुगत अनुमान है और जब अधिनियम के प्रसंग तथा उद्देश्य को सामान्य अभिप्राय के शब्दों को प्रतिबन्धित अर्थ प्रदान किए जाने की आवश्यकता नहीं है तब यह न्यायालयों का कर्त्तव्य बन जाता है कि वे उन शब्दों को उनके सरल एवं साधारण अर्थ प्रदान करें। समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए।

5. Bring out the distinction between penal and remedial statutes and the rules of interpretation applicable to them. Discuss the current judicial trend in the interpretation of penal statues.

दण्डिक एवं उपचारी कानूनों तथा उन पर अनुप्रयोज्य निर्वचन के नियमों के मध्य भेद प्रस्थापित कीजिए। दण्डिक कानूनों के निर्वचन में अद्यतन न्यायिक प्रवृत्ति की विवेचना कीजिए।

6. What are the "internal" and "external" aids to the interpretation of statutes? Asscess the importance of the parliamentry history and long title.

कानूनों के निर्वचन के "बाह्य" एवं "आन्तरिक" साहाय सामग्री क्या है? कानूनों के निर्वचन में संसदीय इतिहास एवं दीर्घ शीर्षक के महत्व का मूल्यांकन कीजिए।

7. Attempt any four of the following :

निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षेप में लिखिए :

(a) Principle of Noscitur-a-Sociis.

"साहचर्येण ज्ञायते" का सिद्धान्त।

(b) Effect of repeal of a statute in the light of section 6 of the general clauses Act, 1897.

साधारण खण्ड अधिनियम 1897, की धारा 6 को ध्यान में रखते हुये कानूनों के निरसन का परिणाम।

(c) The function of the court is to enterpret the law and not to legislate.

न्यायालय का कार्य विधि का निर्वचन करना है, विधायन करना नहीं है।

(d) Statute must be read as whole.

कानून का पूर्णरूपेण पठन किया जाना जरूरी है।

(e) Words of common usage are to be understood in their popular sense.

सामान्य प्रथागत शब्दों को उनको लोकप्रचलित अर्थ में समझना होता है।

8. "Rules of Interpretation are like the tools of carpenter or sculptor". Discuss the statement while pointing out meaning and importance of interpretation of statutes. Explain its limitation also.

"निर्वचन के नियम काष्ठकार या शिल्पकार के उपकरण जैसा है"। कथन की विवेचना निर्वचन के अर्थ और महत्व को इंगित करते हुए कीजिए। इसके परिसीमा की भी व्याख्या कीजिए।

9. With the help of decided cases explain and illustrate the maxim ut res magis valeat quam pereat as applied to statutery interpretation.

सूत्र "अमान्य से मान्य करना अच्छा है" जैसा कि कानूनों के निर्वचन में लागू किया जाता है, कि विनिश्चित वादों की सहायता से व्याख्या कीजिए तथा उदाहरण दीजिए।

10. Write short notes on any **two** of the following :

निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** पर टिप्पणी कीजिए :

(a) Rule of purposive construction.

सप्रयोजन अर्थान्वयन नियम।

(b) Judicial Activism.

न्यायिक सक्रियता।

(c) Function of the court is to interpret the law and not to legislate.

न्यायालय का कार्य विधि का निर्वचन करना है न कि विधायन करना।